ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत, 350 से ज्यादा गम्भीर रूप से घायल

बालासोर में कोरोमण्डल एक्सप्रैस की 6 बोगियां बेपटरी हो गईं तथा दूसरे ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी की इन बोगियों से भीषण टक्कर हो गई

- दुर्घटना के बाद ट्रेन में फंसे करीब 300 लोगों को निकाला जा चुका है तथा करीब 600-700 और लोगों को निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बालासोर/नई दिल्ली, 2 जून। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस के छः बोगियां पटरी से उतरने के बाद दूसरी ट्रैक पर आ रही एक ट्रेन से टकरा गईं। इस हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है और करीब 350 यात्री गम्भीर रूप से घायल हुये हैं।

अधिकारियों ने बताया कि हादसा शाम सात बजकर करीब 20 मिनट पर बाहानगा बाजार स्टेशन पर तब हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नजदीक शालिमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना राहत ट्रेन घटना स्थल पर रवाना किए गए हैं। हादसे के बाद तेजी से बचाव कार्य चलाते हुए 300 यात्रियों को निकाला जा चुका है तथा 600-700 यात्रियों को निकालने के प्रयास किये जा रहे थे।

बालासोर ट्रेन हादसे के घटनास्थल पर बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है। करीब 50 एंबुलेंस को मौके पर रवाना किया जा चुका है। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी टीम भी मौके पर मौजूद है। यह लोग एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की निगरानी कर रहे हैं। अन्य जिलों से 50 डॉक्टरों को भी घटनास्थल पर रवाना किया गया है। ओडिशा के स्वास्थ सचिव ने बताया कि भुवनेश्वर और कटक में निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बालासोर, उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और वह इससे बहुत आहत हैं। उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों के परिजनों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती हैं। साथ ही बचाव अभियान की सफलता की प्रार्थना करते हुए दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे से बहुत दुखी हूं। परिजनों को गंवाने वाले लोगों के प्रति मेरी सांत्वना है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की है। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से बचाव कार्य में हरसंभव मदद की गुहार भी लगाई है।

कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ओडिशा के दुर्भाग्यशाली हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 2 लाख और हल्की चोट लगने वालों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

रेलवे प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि शाम करीब 7 बजे, शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10-12 डिब्बे बालेश्वर के पास पटरी से उतर गए और दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। कुछ समय बाद, यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक और ट्रेन उन पटरी से पड़े डिब्बों से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप उसके 3-4 डिब्बे पटरी से उतर गए।

मणिपुर में लोगों ने अपने हथियार सेना को सौंपे

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। पिछले कुछ दिनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में शुक्रवार को लोगों ने बड़ी संख्या में अपने हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे।

मणिपुर पुलिस के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर लोगों ने विभिन्न तरह के अत्याधुनिक 140 हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। ये हथियार राज्य भर में अलग अलग जगहों पर जमा कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में जातीय गुटों में हिंसा के बाद शाह ने इस सप्ताह राज्य का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की थी। अपने दौरे के अंतिम दिन उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य के लोगों से अपने हथियार सुरक्षा बलों के पास जमा कराने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने लोगों के पास से हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस को तलाशी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया था। पुलिस के अनुसार गृह मंत्री की अपील का असर हुआ है और विभिन्न जगहों पर लोगों ने 140 हथियार सुरक्षा बलों के पास जमा कराये हैं।

- मणिपुर पुलिस के अनुसार, लोगों ने विभिन्न तरह के अत्याधुनिक 140 हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे हैं।

हाई कोर्ट ने फांसी के सजायाफ्ता दो आरोपियों को बरी किया

आरोपियों को नाबालिग के गैंगरेप व हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी

- आरोपियों ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, हाई कोर्ट ने इस केस में अधिवक्ता रवि चिरानिया को न्यायमित्र नियुक्त किया था।
- न्यायमित्र ने रवि चिरानिया ने अभियोजन पक्ष की कई खामियां बताईं और कहा कि, इस केस की कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ रही हैं। पुलिस ने जांच ठीक तरीके से नहीं की है।

जयपुर, 2 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी में 23 दिसंबर 2021 को पन्द्रह साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के दो आरोपियों छोटेलाल व सुल्तान की फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। और बूंदी पॉक्सो कोर्ट के फांसी की सजा वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डैथ रैफरैंस को खारिज कर आरोपियों की अपीलों को मंजूर करते हुए दिए।

बूंदी की पॉक्सो मामलों की कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के अपराध को दुर्लभतम से दुर्लभतम अपराध मानते हुए उन्हें 28 अपैल 2022 को फांसी की सजा सुनाई थी। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलें दायर की थीं। हाईकोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एस.शिन्दे और न्यायाधीश अनूप ढंढ की खंडपीठ ने इस मामले की परिस्थितियों को समझते हुए अधिवक्ता रवि चिरानिया को न्यायमित्र घोषित किया था।

अभियोजन की खामी बताते हुए रवि चिरानिया ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी खोजी स्कोड व डॉग टीम के आधार पर की थी, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में टीम की गवाही ही शामिल नहीं की और ना इसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एक मुख्य आरोपी सुल्तान (उम्र 27 वर्ष) का तो एफ.आई.आर. में नाम भी दर्ज नहीं था और उसके तथा छोटेलाल (उम्र 60 वर्ष) के खिलाफ कोई भी स्वतंत्र चश्मदीद गवाह अदालत में पुलिस ने पेश नहीं किया था।

पूरी जांच कार्रवाई में पुलिसकर्मी ही गवाह थे और कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। मामले को जानने वाले न्यायमित्र अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया कि केस की एक-एक कड़ी आपस में मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी ही संदेहास्पद हो जाती है।

गौरतलब है कि नाबालिग पीडिता काला कुआं गांव के पास जंगल में बकरियां चराने गई थी। इस दौरान ही उससे गैंग रेप करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी लाश जंगल से बरामद की थी। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए दस पुलिस थानों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 12 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह केस ऑफिसर स्कीम में लेकर तीन कार्य दिवस में ही चालान पेश किया था।

अधिवक्ता रवि चिरानिया ने बताया कि मामले में डी.एन.ए. जांच भी अनिर्णायक थी और पुलिस ने छोटेलाल के कपड़ों पर मिला उसी का खून उसी के खून से मिलाकर कह दिया कि वह मुख्य आरोपी था। रवि चिरानिया ने यह भी बताया कि पुलिस को सभी सेंपलों की जांच यानी फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफ.एस.एल.) रिपोर्ट बनाने के लिये उन्हें तुरंत ही भेजना होता है, परंतु उक्त मामले में पुलिस ने चार-पांच दिन बाद सेंपलों को जांच के लिये भेजा जिससे रिपोर्ट भी गड़बड़ आई हैं।

बाइडन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुंह के बल गिर गए। दरअसल, मंच पर पहुंचे राष्ट्रपति ने छात्रों से हाथ मिलाया। इसके बाद जब वह अपनी सीट की ओर वापस लौट रहे थे, तो अचानक संतुलन खो दिया और लड़खड़ाकर गिर गए। यह देखकर तुरंत वायुसेना के अधिकारी हरकत में आए और उनकी मदद की। हालांकि, बाइडन को इस घटना का खास असर पड़ता नजर नहीं आया। उन्होंने तत्काल दोबारा खुद को संभाला और सीट पर वापसी की। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि स्टेज पर सैंड बैग होने के चलते यह घटना हुई। दरअसल, टेलीप्रॉम्पटर को सहारा देने के लिए ऐसे दो बैग को रखा गया था। 80 वर्षीय बाइडेन व्हाइट हाउस लौटने पर इस घटना का मजाक उड़ाते भी नजर आए।

'राजद्रोह कानून : सजा 3 से बढ़ाकर सात साल कर रही है सरकार'

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार राजद्रोह कानून को सख्त बनाकर औपनिवेसिक मानसिकता का परिचय दे रही है और चुनाव में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इसके इस्तेमाल को आसान बना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, सरकार विधि आयोग के जरिए कानून को उच्चतम न्यायालय की भावना के प्रतिकूल मजबूत करके इस कानून के तहत तीन साल की न्यूनतम सजा को सात साल कर रही है।

प्रवक्ता ने कहा, "मोदी सरकार आने के बाद से 2020 तक राजद्रोह के मामलों में करीब 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। करोना काल में ऑक्सीजन तथा अन्य समस्याओं के विरोध के मामले में 12 केस दर्ज हुए। इसी तरह 21 केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 27 केस सीएए-एनआरसी के मुद्दे से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इन मामलों की 60 प्रतिशत जमानत याचिकाएं निरस्त होती हैं। जनवरी 2021 में शशि थरूर, राजीव सरदेसाई, मृणाल पांडे, कौमी आवाज के जफर आगा, कारवां पत्रिका के परेशनाथ, एल्गार परिषद, विनोद दुआ आदि के विरुद्ध कानून का दुरुपयोग किया गया है।

'बिजली कनैक्शन दिए जाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जेडीए ने अदालत को बताया कि 60,000 से अधिक पट्टे जारी करने में उन्हें 1621 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इसी आंकड़े को तुलना का आधार बताते हुए जेडीए ने कहा कि बकाया 17564 भूखंड को अगर बिजली कनेक्शन आवंटित कर दिया गया तो उन लोगों के पास जेडीए का पट्टा लेना कोई जरूरत नहीं रह जायेगी और जेडीए को 456 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। वहीं जेडीए की ओर से यह भी कहा गया कि बकाया 17,000 से अधिक भूखंडो पर पट्टा इस वजह से नहीं दिया जा सकता क्योंकि पहला, मास्टर प्लान में कई भूखंडों को रिक्रियेशनल कहा गया है। दूसरा, कई भूखंडों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन जा रही है जिस वजह से वहां पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं।, तीसरा, योजनाओं की आपसी ओवरलैपिंग के कारण। चौथा, आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधि चल रही हैं। पांचवां, वितरण समितियों द्वारा दोहरा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर विवाद उत्पन्न किया गया है। छठा, खातेदार व समितियों के मध्य विवाद है। शपथ पत्र में इनके अलावा दो अन्य कारम भी बताए गए है।

वहीं जेडीए के तर्कों को निराधार बताते हुए न्यायमित्र पी.एन. भंडारी ने अदालत को कहा कि जेडीए स्वयं कह रही है कि वह कई भूखंडों पर पट्टा जारी नहीं कर सकती, तो उन्हें यह तथाकथित नुकसान कैसे उठाना पड़ेगा। उन्होंने अदालत को आगे कहा कि यह मामला पट्टा आवंटन का नहीं, लोगों को बिजली कनेक्शन का मूल अधिकार देने का है। उन्होंने अदालत को कहा कि केवल बिजली कनेक्शन आवंटित करने से जमीन का स्वामित्व स्थापित नहीं हो सकता और जहां किसी कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन जारी कर भी दिया हो, तो जेडीए और अन्य संगठन व संस्थाएं जो सरकार के अधीन हैं, वे उस कब्जाधारी के निर्माण को कभी उक्त कार्रवाई कर हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना केवल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बिजली कनेक्शन एक मूल अधिकार है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-43 स्पष्ट रुप से कहती है कि बिजली कनेक्शन भूखंड पर काबिज व्यक्ति के नाम पर ही जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एकल पीठ के समक्ष किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा को चुनौती नहीं दी है इसीलिये अदालत को भी यह शर्त नहीं लगानी चाहिये कि जिनके पास जेडीए का पट्टा हो उन्हें ही बिजली कनेक्शन दिया जाये। उन्होंने कहा कि अनावश्यक शर्त या प्रतिबंध लगाने से केवल भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा।

'आप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हराना आसान नहीं है। बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है। मोदी असल में कमजोर हैं। देश में भारी बेरोज़गारी है, महंगाई आसमान छू रही है। ये बातें भारतीय जनता को परेशान कर रही हैं।

डेयरी बूथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, प्रदेश में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) को डेयरी बूथ आवंटन कर उसमें उसके उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा रही है। इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है। डेयरी बूथ में सिर्फ आर.सी.डी.एफ. के उत्पादों को बेचने की अनुमति देना एकाधिकार की श्रेणी में आता है। ऐसे में, जो बूथ आवंटन किए जा रहे हैं उसमें याचिकाकर्ता को भी शामिल किया जाए और इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को भी बेचने की अनुमति दी जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार और आर.सी.डी.एफ. की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने कहा कि, आर.सी.डी.एफ. राज्य सरकार का खुद का उपक्रम है। ऐसे में वह इसके लिए व्यवस्था करने और सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार रखती है। वहीं, प्रदेश में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पाद भी बिना रुकावट बिक रहे हैं। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद बेचने के रोका नहीं है और इनके उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में यह एकाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।

भाजपा नये सहयोगी दलों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा की एकतरफा जीत हुई थी, उस समय उसे 28 दलों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी, आर.एल.एस.पी., लोक जनशक्ति पार्टी तथा पी.एम.के. शामिल थी। लेकिन भाजपा की आक्रामक विस्तारवादी योजनाओं को आगे बढ़ाने की नीति के कारण क्षेत्रीय पार्टियाँ और उनके नेता स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते आ रहे हैं तथा इस प्रकार एन.डी.ए. जिसने पिछले महीने अपने 25 वर्ष पूरे किये हैं, अब केवल कागजों तक सीमित हो गया है।

अब भाजपा अपनी उस स्थिति एवं नीति के बदलने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उप मुख्यमंत्रियों से बात करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे कहा बताते हैं कि इस सोच को कम करने की दिशा में काम किया जाये कि भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ उचित समायोजन नहीं कर रही है। मोदी ने यह कहा बताते हैं, "भाजपा क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर बहुत अधिक केन्द्रित रही है। इसलिये ऐसा सोच बनना ही नहीं चाहिये कि यह (भाजपा) क्षेत्रीय दलों के साथ सुविधाजनक स्थिति में नहीं रहती है।"

उल्लेखनीय है कि मोदी की यह टिप्पणी उस दिन आई थी, जब अधिकांश बड़े विपक्षी दलों ने नये संसद भवन के उद्घाटन के अति महत्वपूर्ण समारोह का बहिष्कार किया था। गैर-भाजपा दल, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, वाय.एस.आर.सी.पी., जनता दल (एस), बीजू जनता दल, बसपा तथा तेलुगु देशम पार्टी शामिल थीं, समारोह में शामिल तो हुए थे, लेकिन इन दलों को ज्यादा से ज्यादा भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले दल माना जा सकता है, एन.डी.ए. गठबंधन का पार्टनर नहीं।

मजबूत तथा बड़ा एन.डी.ए., भाजपा के पक्ष में एक ऐसी बड़ी एवं प्रभावी ताकत करते हुये, भाजपा को एक समावेशी तथा अखिल भारतीय दल का रूप प्रदान करता है। इसके कई और भी लाभ हैं। उदाहरणार्थ, भाजपा उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभान चुनावों में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर भाजपा के पास गठबंधन पार्टनर है तो भगवा पार्टी अपने मित्र दलों का उपयोग इस समुदाय को यह दर्शाने के लिये कर सकती है कि भाजपा का संरक्षण उन तक पहुँच रहा है।

कर्नाटक में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा।" उन्होंने कहा कि नदी पर कोई भी अनाधिकृत निर्माण तमिलनाडु के हितों को प्रभावित करेगा। बांध का निर्माण होगा, यह घोषणा कदापि स्वागत योग्य बयान नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र पर तमिलनाडु का भी अधिकार है।" प्रोजैक्ट में कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा में बांध बनाने का प्रस्ताव शामिल है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता शिवकुमार जब विपक्ष में थे तब मेकेदातु प्रोजैक्ट के लिए पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। प्रोजैक्ट के लक्ष्य बैंगलोर व पड़ोसी क्षेत्रों को पेयजल (4.75 बी.एम.सी.) उपलब्ध कराना तथा 400 मेगावॉट बिजली बनाना है। इसकी अनुमानित लागत 9000 करोड़ रू. दुरैमुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगा। जल्दी ही मुलाकात का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है तब इस मुद्दे पर विस्तार से बाते होंगी, मुझे यकीन तब तक शिवकुमार धैर्य रखेंगे।

जोधपुर-दिल्ली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता और एडीशनल एडवोकेट जनरल आर.डी. रस्तोगी ने अदालत के समक्ष कहा कि वंदे भारत प्रोजेक्ट में अदालत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिये और केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये नेलाकुदुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को 30 माह का और समय दे रही है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर पैरवी के लिये पेश हुए थे। इस मामले में अदालत ने 13 मार्च 2023 को एक तरफा बहस सुनकर अनुबंध रद्द करने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उक्त मामले में रेल सेवा शुरू करने में दो साल छह माह का विलंब पहले से ही चल रहा है। सुनवाई के दौरान रेल्वे ने कहा कि उक्त रेलसेवा के लिये आधारभूत संरचना का कार्य अगस्त 2020 तक समाप्त हो जाना चाहिये था परंतु नेलाकुदुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को सात बार समय सीमा बढ़ाकर काम पूरा करने का मौका भी दिया गया था लेकिन वह काम पूरा नहीं कर पाई थी। इसके बाद 24 फरवरी 2023 को इनकी समय सीमा खत्म हो गई और रेलवे द्वारा कॉन्ट्रेक्ट खत्म किये जाने के संबंध में नोटिस दे दिया गया।

'आठ साल में बैंकों की लोन रिकवरी मात्र 17.6 प्रतिशत ही रही है'

कांग्रेस ने कहा कि, सरकार ने 2016 में ऋण शोधन संहिता-आई.बी.सी. कानून लागू करके बैंकों की लूट-खसोट का रास्ता तैयार कर दिया था

नई दिल्ली, 2 जून (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार देश में बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी सुधार के नाम पर कुछ साल पहले जिस दिवाला और ऋण शोधन संहिता-आईबीसी को लेकर आई थी उसका इस्तेमाल संगठित लूट के तौर पर किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार आठ साल पहले इस कानून को लेकर आई तो दावे किए गए कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे लेकिन इसका इस्तेमाल बैंकों की लूट के रूप में किया जा रहा है और बैंकों से लिया गया कर्ज़ का 80 फीसद से ज्यादा कर्ज़ संहिता के इस्तेमाल से डूब रहा है।

उन्होंने कहा, "इससे देश में दूसरी ऑर्गनाइज्ड लूट हुई है। वित्त वर्ष 2016-2023 के बीच जितने मामले दिवाला और ऋण शोधन संहिता-आईबीसी में गए, उनमें से मात्र 17.6 प्रतिशत की वसूली हुई और बाकी 82.4 प्रतिशत पैसा डूब गया। इसके इस्तेमाल से 75 प्रतिशत मामलों में कम्पनियां औने पौने दाम में बिकी। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि में जितना पैसा बैंकों से कंपनियों ने ऋण के रूप में लिया उसका 83 फीसदी डूब गया।"

प्रवक्ता ने कहा कि 2016 में जब यह संहिता लाई गई थी तो इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसके लिए तालियां पीटी गई थीं और इसे मोदी सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का बहुत बड़ा कदम बताया गया था। तब दावा किया गया था कि इस सुधार से बैंकों की रिकवरी बढ़ेगी लेकिन आठ साल में वसूली 17.6 प्रतिशत ही रही और बैंकों से लूट का सिलसिला शुरु हो गया। संहिता से आम धारणा बन गई कि बैंक से पैसा लो, डिफाल्ट करो और जब पैसा नहीं चुकाने की शिकायत लेकर बैंक आईबीसी जाएं तो ऋण का कुछ पैसा लौटा दो और फिर सारा मामला खत्म।"

उन्होंने कहा कि, अडानी ग्रुप ने आई.बी.सी. का खूब उपयोग किया है। इसका इस्तेमाल करते हुए उसने औने-पौने दाम में पोर्ट और पॉवर कंपनियों को खरीदा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908